कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखंड

5- चन्द्रबनी, पोस्ट मोहब्बेवाला, देहरादून (उत्तराखंड) फोन/फैक्स – 0135- 2644091 email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या 1309 /6-28 25-10 दिनांक, शिविर,देहरादून, दिसम्बर 3 2014

आदेश

उत्तराखण्ड के कृषकों में वन्य जीवों के प्रति सर्वाधिक असन्तोष उनकी फसलों को जंगली सुअरों/वन रोज के द्वारा की जा रही क्षति के कारण है। इस क्रम में पूर्व में जारी किये गये आदेशों को अतिक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदनोपरान्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुसूची 2, अनुसूची 3, या अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिये या सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत किसी भूमि पर खड़ी फसल) के लिये हानिकारक हो गया है या ऐसा निःशक्त या रोगी है कि ठीक नही हो सकता है तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसके लिये कारण दर्शाते हुये किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह का आखेट करने या उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणी समूह का आखेट करवाने की अनुज्ञा दे सकेगा। अतः जंगली सुअरों/वन रोजों की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन धारा 5(2) के अधीन करते हुये चिन्हित जंगली सुअरों/वन रोजों का आखेट करने हेतु अपर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों (क्षेत्रीय वन संरक्षक), उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक (प्रभागीय वनाधिकारी), वन्य जीव प्रतिपालक (सहायक वन संरक्षक), सहायक वन्य जीव प्रतिपालकों (वन क्षेत्राधिकारी, उप वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा) को संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर करने का अधिकार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत प्रदत्त किया जाता है। **यह अनुमति उक्त प्रतिनिधायन अधिकारियों द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों तक मान्य होगी, इसके पश्चात स्वतः समाप्त समझी जायेगी।**

1. अनुमति प्राप्त करने के लिए विधिवत आवेदन करना होगा।
2. आवेदन पत्र पर स्थानीय ग्राम प्रधान की संस्तुति अनिवार्य होगी।
3. प्राप्त अनुमति के अधीन जंगली जीव के आखेट की कार्यवाही वन क्षेत्रों से बाहर की जायेगी। चोट लगने से घायल जंगली जीव का पीछा वन क्षेत्रों के भीतर नही किया जायेगा।
4. आखेट केवल गैर वन भूमि में ही किया जायेगा।
5. आखेट बन्दूक या रायफल से ही किया जायेगा।
6. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
7. मारे गये जंगली सुअरों/वन रोजों के शव को वन रक्षक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही नष्ट किया जायेगा।
8. आखेट की परिभाषा वही होगी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 2 (16) में वर्णित है।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
प्राप्ति सं० 1311
पत्रावली सं० 67
दि० 5/12/14
उत्तराखण्ड

(डी०वी०एस० खाती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड।

O/C

04 Dec 14 13:26 PCCF Wildlife Dehradun 01352644091